रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28022023-243959
CG-DL-E-28022023-243959

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 890] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2023/फाल्गुन 9, 1944
No. 890] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2023/PHALGUNA 9, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2023

का.आ. 927(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को उक्त तालिका के क्रमश: स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
627	866	केरल राज्य में नवईकुलम के निकट रारा-66 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर थेक्कडा को जोड़ने वाला और थेक्कडा से प्रारंभ होकर तथा मंगलापुरम के निकट रारा-66 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाले स्पराष्ट्रीय राजमार्ग सहित विझिनजाम

		के निकट रारा-66 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग। (तिरुवनंतपुरम आउटर रिंग रोड)

[फा. सं. एनएच-14012/23/2022-पी ऐंड एम]

अभय जैन, उप सचिव

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची, भारत के राजपत्र में दिनांक 4 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 5435(अ), दिनांकित 22 दिसंबर, 2022 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2023

S.O. 927(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

SCHEDULE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
627	866	The highway starting from its junction with NH-66 near Navaikulam connecting Thekkada and terminating at its junction with NH-66 near Vizhinjam including spur starting from Thekkada and terminating at its junction with NH-66 near Mangalapuram in the State of Kerala. (Thiruvananthapuram Outer Ring Road)

[F. No. NH-14012/23/2022-P&M]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.

Footnote : The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689(E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 5435(E), dated 22nd December, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA